

अपर उपायुक्त का न्यायालय, सरायकेला-खरसावों ।

आदेश फलक

आदेश पत्रक ता०

जिला-सरायकेला-खरसावों

SAR अपील वाद सं०- 05/2013-14 एवं 14/13-14

केस का प्रकार - चन्दन सरदार वनाम सुभाषिनी सरदारीन एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
------------------------------------	--------------------------------	--

11/10/2018

उप समाहर्ता प्रभारी, विधि शाखा, सरायकेला- खरसावों के पत्रांक-398/विधि, दिनांक 22.10.2016 द्वारा SAR अपील वाद सं०- 05/2013-14 एवं 14/13-14 प्राप्त हुआ है। एस०ए०आर० अपील वाद सं०-05/13-14 में अपीलार्थी 1. नैलू सरदार @ जयसिंह सरदार 2. बुरु सरदार दोनों के पिता स्व० सुरेश सरदार, 3. चंदन सरदार, पिता स्व० युधिष्ठिर सरदार, ग्राम-ईच्छापुर (मंदिर टोला), थाना- आर०आई०टी०, जिला- सरायकेला-खरसावों ने एस०ए०आर० वाद सं०- 01/2011-12 में भूमि सुधार उपसमाहर्ता,सरायकेला के आदेश दिनांक 04.07.2012 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया है। इस वाद के विपक्षी 1. सुभाषिनी सरदारीन, पति स्व० मंजू सरदार, 2. मन्दू सरदार, पिता स्व० मंजू सरदार, 3. बासन्ती देवी, पति स्व० विजय सरदार ग्राम- ईच्छापुर (मंदिर टोला), थाना- आर०आई०टी०, जिला- सरायकेला-खरसावों हैं तथा एस०ए० आर० अपील वाद सं०-14/13-14 में अपीलार्थी चन्दन सरदार, पिता स्व० युधिष्ठिर सरदार, ग्राम-ईच्छापुर (मंदिर टोला), थाना- आर०आई०टी०, जिला- सरायकेला-खरसावों हैं एवं द्वितीय पक्ष सुभाषिनी सरदारीन पति स्व० मांजू सरदार @ स्व० कीनू सरदार 2. मन्दू सरदार, पिता स्व० मांजू सरदार @ स्व० कीनू सरदार 3. विजय सरदार, पिता स्व० टुरा सरदार हैं। वादग्रस्त भूमि का विवरणी निम्नवत है-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
दिन्दली	128	206	139	0.48 एकड़
			140	0.12 एकड़
			141	1.46 एकड़
			357	0.18 एकड़
			356	0.06 एकड़
		207	137	1.17 एकड़
			138	1.81 एकड़
			142	0.06 एकड़
			कुल -	4.32 एकड़

उक्त दोनों अपील वाद एक ही एस०ए०आर० वाद में पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। इसलिए उक्त दोनों अपील एक ही आदेश पर रखा गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील वाद दायर करने के पश्चात कुछ तिथियों में उपस्थिति दर्ज करायी गयी एवं विगत तीन तिथियों से लगातार अनुपस्थित हैं एवं द्वितीय पक्ष लंबे समय से अनुपस्थित हैं। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभिलेख आदेशार्थ रखा गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तथ्यानुसार :-

- अपीलकर्ता के पिता द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सरायकेला के न्यायालय से टी०ए० मिस वाद सं०-216/72-73 के माध्यम से अनुमति उपरांत खेसरा

9

सं०-357 अंतर्गत 0.18 डी० एवं खेसरा सं०-356 अंतर्गत 0.04 डी० भूमि 1.
कीनू सरदार 2. लखिन्द्र सरदार, दोनों के पिता स्व० रमेश सरदार 3.
सुन्दरी सरदारीन पति स्व० रामेश्वर सरदार से कय किया गया है एवं तदोपरांत
पक्का मकान निर्मित कर निवासित हैं।

- एस०ए०आर० वाद के वादी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थीगण की जाति नापित (बारिक) है परंतु अपीलार्थी की जाति भूमिज है जो अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के व्यक्ति हैं। इसका प्रमाण स्वरूप अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला के पत्रांक-933 दिनांक 14.06.2007 द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र से स्पष्ट है।
- अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर मकान(छप्परबंदी) के रूप में दखल 39 वर्षों के पूर्व से है इसलिए यह वाद कालबाधित है और भू-वापसी वाद निरस्त करने योग्य है।

द्वितीय पक्ष के लिखित तथ्यानुसार -

- प्रश्नगत भूखण्ड हाल सर्वे खतियान में आदिवासी खेता की भूमि है। जिसपर निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2012 को पूर्ण समीक्षोपरांत आदेश पारित किये हैं। जिसका अनुपालन अपीलार्थीगण द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।
- अपीलार्थी की जाति नापित(बर्बर) है। ये अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नहीं है। टी०ए० मिस वाद सं०-216/72-73 के आवेदक सं०-2. लखिन्द्र सरदार, रामेश्वर सरदार के पुत्र नहीं हैं। इसलिए टी०ए० मिस वाद सं०-216/72-73 में पारित आदेश गलत है। इस टी०ए० मिस वाद में अपीलार्थीगण द्वारा छल प्रपच से प्राप्त किये हैं। इसलिए अधिनियम के तहत उन्हें ये भूखण्ड भू-वापसी के तहत प्राप्त होना चाहिये।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा एस०ए०आर० वाद सं०-01/11-12 में पारित आदेशानुसार -

- वादग्रस्त भूमि हाल सर्वे खतियान में आदिवासी खेते की भूमि है। इस भूखण्ड की भूमि आयडा द्वारा अधिग्रहित होने पर जांचोपरान्त रेंट रेमिशन की कार्रवाई हेतु निदेशित है।
- इस अपील वाद के अपीलार्थीगण अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति नहीं है से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त नहीं है।
- टी०ए०. मिस वाद के माध्यम से अनुमति उपरांत एवं म्यूनिसिपल सर्वे के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी का दखल 40 वर्षों से है।

इस प्रकार 30 वर्षों से अधिक अवधिक का दखल एवं पक्का मकान होने के कारण अपीलार्थीगण को विवादित भूमि के समतुल्य भूमि प्रतिवोदीगण को देने के उपरांत हस्तांतरण को नियमित मानने का आदेश पारित है।

उपर्युक्त के आलोक में स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा समीक्षोपरांत आदेश पारित किये हैं। इसलिए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

अपर उपायुक्त,

सरायकेला-खरसावाँ।

अपर उपायुक्त,

सरायकेला-खरसावाँ।